Sixteenth Loksabha

an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs made a statement regarding Government Business during the week commencing the 27th December, 2017 and submissions made by Members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam Speaker, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Wednesday, the 27th of December, 2017 will consist of:- .

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains consideration and passing of (a) the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Amendment Bill, 2017, and (b) the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017]

2. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Ordinance, 2017 (No. 5 of 2017) and consideration and passing of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2017.

3. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 (No.7 of 2017) and consideration and passing of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017.

4. Consideration of the amendments made by Rajya Sabha in the Constitution (One Hundred and Twenty Third Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha.

5. Introduction, consideration and passing of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017.

6. Consideration and passing of the following Bills: -

(a)· The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2017.

(b) The Dentists (Amendment) Bill, 2017.

(c) The Representation of the People (Amendment) Bill, 2017.

(d) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017.

(e) The Specific Relief (Amendment) Bill, 2017.

(f) The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Condition of Services) Amendment Bill, 2017.

HON. SPEAKER: Submissions by Members.

Shri Ramdas C. Tadas – not present.

श्री विऐणु दयाल राम (पलामू) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विऐायों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाएः -

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र का पलामू जिला मुख्यालय डालटनगंज (मेदिनीनगर) एक प्राचीन शहर है एवं नगर निगम भी है, जिसके कारण शहर में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था हमेशा अव्यवस्थित रहती है। इस शहर को व्यवस्थित तथा विकसित करने हेतु 'अमृत योजना' में शामिल किया जाए।

(2) मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले पलामू एवं गढ़वा में उद्योग धंधों के नाम से एकमात्र Rehla Castic Soda Factory है, जबकि यहां पर कोयला एवं ग्रेफाइट का अकूत भंडार है। इन दोनों जिलों मे नए उद्योगों की स्थापना की जाए।

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): Madam Speaker, I would like to make a submission on the subject of pension revision and reform for retired bank employees. In April 2016, the Indian Banks' Association (IBA) decided to examine the matter and in August 2017, the Department of Financial Services at the Ministry of Finance agreed to set up a committee to resolve the pending issues of bank pensioners and retirees. I would like to request the Central Government to expedite the process of resolution of this matter.

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित दो विऐायों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ लिया जाए;

(1) आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका का मानदेय महंगाई के दौर के अनुरूप नहीं है जिसके चलते इनके स्वयं के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। कई राज्य सरकारों ने भी इनके मानदेय में बढ़ोतरी की है; लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकृत कर इन्हें केंद्रीय कर्मचारी के समकक्ष वेतनमान दिया जाए।

(2) देश भर के सभी सरकारी विद्यालयों में मिड-डे-मील की व्यवस्था की गई है लेकिन मानक के अनुरूप छात्रों को भोजन नहीं दिया जा रहा है जिसका मुख्य कारण मिड-डे-मील योजना में कई विसंगतियाँ हैं। वर्तमान केंद्र सरकार ने मिड-डे-मील योजना में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। मिड-डे-मील में सुधार लाकर देश के भविऐय को संवारने की आवश्यकता है।

अतः उपर्युक्त दोनों विऐायों पर सदन के अगले सप्ताह में चर्चा करायी जाए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विऐायों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ने के लिए आग्रह करता हूँ;

उत्कृऐट, निऐठावान और कार्यकुशल प्रशासन आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारे संविधान तंत्र में सरकारें जवाबदेह हैं और जनप्रतिनिधि भी, लेकिन प्रशासन तंत्र की कोई जवाबदेही नहीं। प्रशासन तंत्र की ढिलाई और भ्रऐटाचार का खामियाजा निर्वाचित सरकारों के साथ-साथ आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसी के मद्देनजर प्रशासनिक सुधार आयोग बना। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 1970 के 35 साल बाद सितंबर 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना। इस आयोग ने भी केंद्रीय प्रशासन के ढांचे के साथ राज्य प्रशासन पर भी सिफारिशें की। जिला प्रशासन को सक्षम बनाने की भी महत्वपूर्ण संस्तुतियां की। अतः प्रशासन तंत्र की जवाबदेही तय करने के लिए दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को अविलम्ब लागू करने हेतु सख्त विधि नियम बनाया जाए।

दूसरा, बिहार में गंगा नदी से जुड़ी किसी तरह की योजनाओं पर काम के लिए जी.एफ.सी.सी. की मंजूरी आवश्यक है। गंगा की सहयोगी नदियों से जुड़े बाढ़-कटाव निरोध कार्य के लिए भी इसकी सहमति की जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार ने ऐसा ही प्रावधान किया है। बिना इनकी मंजूरी के इन योजनाओं पर काम नहीं किया जा सकता। गंगा, गंडक, कोसी में कई जगहों पर नदियाँ अपनी धारा ही बदल रही थीं। कटिहार के गुमटी टोला, भागलपुर के इस्माइलपुर बिंद टोला, गोपालगंज के पतराहा छड़की, बक्सर के कोईलवर तटबंध, किशनगंज के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कृऐि विश्वविद्यालय के साथ कोसी नदी को मूल धारा में लाने की तीन योजनाएँ शामिल हैं। इनमें कोसी बराज के अलावा कोसी महासेतु के निकट की जो योजनाएं हैं, वे अभी तक जी.एफ.सी.सी. के पास स्वीकृति हेतु लंबित है। अतः इन जनहित की योजनाओं की अविलम्ब स्वीकृति हेतु सख्त विधि नियम बनाया जाए।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि सब्मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित दो विऐायों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किए जाने का कऐट करें;

(1) महाराऐट्र सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रेऐित किए गए चालू एवं नये रेलवे ओवर ब्रिज/रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण कार्य संबंधी प्रस्ताव हेतु शीघ्र शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता स्वीकृत किए जाने से संबंधित विऐय।

(2) महाराऐट्र राज्य में निर्माणधीन तीन रेलवे लाईन और बाकी स्वीकृत 5 रेलवे लाईन के निर्माण हेतु शीघ्र धन का आवंटन किए जाने से संबंधित विऐय।

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें-

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में जल स्रोत काफी है; झील, झरने एवं नदियाँ बहुत हैं, परंतु पेयजल समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अधिकतर गाँवों में जल में काफी प्रदूऐण है और साफ पानी लोगों को नहीं मिल पाता है, दूऐित पानी को पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर सड़क, पानी एवं बिजली पर विशेऐ जोर देकर लोगों को सुविधाएँ दी जा रही है। इन सुविधाओं को मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में पेयजल के साधन तेजी से उपलब्ध करवाने का कार्य।

(2) झारखंड में अभी तक ऐसे सैकड़ों गाँव हैं जहाँ पर विद्‌युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने वऐन 2018 तक सभी गाँवों में विद्‌युतीकरण का लक्ष्य रखा है। अगर इसी तरह से कार्य किया जाएगा तो वऐन 2018 तक देश के सभी गाँवों में बिजली नहीं पहुँचेगी। झारखंड में नक्सलवादी समस्या का निराकरण विद्‌युतीकरण से काफी सीमा तक हो सकता है। अतः झारखंड में विशेऐकर मेरे सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में सभी गैर विद्‌युतीकरण गाँवों में बिजली पहुँचाने का कार्य।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विऐयों का समावेश किया जाए -

अध्यक्ष जी, हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चार नई लाइनें, विसावदर-जूनागढ़, विसावदर-तलाला-बेरावाल, तलाला-डेल्वाडा, कोडीनार-प्राची की लाइनें अमरेली से होकर गुजरती है और इन चारों लाइनों के अंतिम सर्वे हेतु एक-एक करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई है, परन्तु अभी तक कोऐ आबंटन नहीं होने के कारण इस कार्य में कोई भी प्रगति नहीं हुई है।

महोदया, खिजडिया-अमरेली-चलाला-धारी-विसावदर परियोजना के साथ यदि इन चारों योजनाओं के लिए भी यदि कोऐ आबंटित कर दिया जाए तो सभी परियोजनाएं एक साथ पूर्ण हो जाएंगी जिसका पूर्ण लाभ अमरेली की जनता को वृहद रूप से मिलेगा और अमरेली का विकास एक रेलवे जंक्शन के तौर पर हो पाएगा।

महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र होकर ऊना-धारी-चलाला-अमरेली-बाबरा-जसदन से चोटीला तक राऐट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है जिसकी कुल लम्बाई 280 किलेमीटर है। इन एनएच के निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत 1981 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। इस एनएच के निर्माण कार्य की प्रगति न के बराबर है। इसके लिए न ही अभी तक

भूमि का अधिग्रहण हो पाया है न ही अन्य प्रकार का कोई निर्माण कार्य चल रहा है। इस राजमार्ग को लेकर वहां के निवासी बहुत ज्यादा आशान्वित हैं, क्योंकि इस मार्ग के निर्माण के साथ ही क्षेत्र के लोगों का आवागमन बहुत सरल हो जाएगा और वहां रहने वाले लोगों के साथ-साथ इसका लाभ इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को भी मिलेगा। इस एनएच के बन जाने से जूनागढ़-अमरेली-राजकोट जिले को जोड़ा जाएगा और बहुत ही कम समय में तीनों जिलों में पहुंचा जा सकेगा।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विऐाय को शामिल करने की कृपा करें।

मैं झारखण्ड राज्य के धनबाद लोक सभा के कुछ मुख्य बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृऐट कराना चाहता हूं जहां इण्डियन स्कूल ऑफ माईन्स जिसको अभी हाल ही में आई.आई.टी. का दर्जा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुआ। यहां इस्पात मंत्रालय का बोकारो इस्पात प्लांट भी स्थित है और धनबाद कोयला नगरी कोयलांचल के रूप में सुप्रसिद्ध है। परन्तु बहुत ही खेद के साथ यह बताना चाहता हूं कि यहां खेल-कूद के विऐाय में यदि देखा जाए तो धनबाद लोक सभा क्षेत्र में उच्चस्तरीय खेल अकादमी एवं उच्चस्तरीय खेल स्टेडियम के साथ-साथ उच्चस्तरीय प्रशिक्षकों की बहुत ही कमी है, जिससे कि यहां के खिलाड़ियों के कौशल विकास पर अंकुश जैसे लगा हुआ है। यहां बहुउद्देश्यीय स्टेडियम न होने के कारण अंतर्राऐट्रीय व राऐट्रीय खेलों का आयोजन नहीं हो पाता है जिसके कारण यहां के खिलाड़ी अंतर्राऐट्रीय व राऐट्रीय खेलों के आयोजनों में भाग नहीं ले पाते हैं। धनबाद लोक सभा के खिलाड़ियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। किन्तु उचित मार्गदर्शन, उच्चस्तरीय खेल अकादमी एवं उच्चस्तरीय खेल स्टेडियम के साथ-साथ उच्चस्तरीय प्रशिक्षकों की कमी के कारण धनबाद के प्रतिभावान खिलाड़ी देश के अन्य राज्यों व जिलों से पिछड़ रहे हैं।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद में उच्चस्तरीय खेल अकादमी, उच्चस्तरीय खेल स्टेडियम के निर्माण के साथ-साथ उच्चस्तरीय प्रशिक्षकों की पदनियुक्ति कराने का कऐट करें, जिससे कि धनबाद में रह रहे प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी देश, समाज की धारा में शामिल होने का अवसर मिल सके।

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा, महाराऐट्र की महत्वपूर्ण समस्या को जोड़ने के संदर्भ में -

(1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन वरिऐठ नागरिकों को लोकप्रिय योजना वयोश्री का वर्धा में कार्यान्वयन के संदर्भ में।

(2) पर्यटन मंत्रालय के अधीन स्वदेश दर्शन योजना के तहत गीरड दरगाह एवं किलझर गणेश मंदिर, जो नागपुर अध्यात्म सर्किट में प्रस्तावित है, के कार्यान्वयन के संदर्भ में।

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): महोदया, संसद के आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विऐायों को सम्मिलित किया जाए -

1 - जयपुर से शिरडी के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाई जाए।

2 - जयपुर-चंडीगढ़ इन्टरसिटी (19717 / 19718) का विस्तार जयपुर से आनन्दपुर साहिब तक किया जाए।